संख्या–966/2016/01(A)(120)/XXVII(8)/01

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादूनः दिनांकः25 नवम्बर, 2016

विषयः– सीजन वर्ष 2016–17 के लिये ईंट–भट्टा समाधन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3815/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0/वाणि0 कर/2016–17/देहरादून, दिनांक 29.09.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ईंट–भट्टा सीजन वर्ष 2016–17 (दिनांक 01.10.2016 से 30.09.2017 तक) अथवा वस्तु एवं सेवा कर लागू होने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए ईंट–भट्टा समाधान योजना लागू किये जाने एवं समाधान शुल्क में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ईंट–भट्टा सीजन वर्ष 2016–17 (दिनांक 01.10.2016 से 30.09.2017 तक) अथवा वस्तु एवं सेवा कर लागू होने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिये ईंट–भट्टा समाधान योजना लागू करते हुये निम्नानुसार समाधान राशि निर्धारित की जाती हैः–

भट्टे की श्रेणी	वर्ष 2015–16 के लिये समाधान राशि प्रति भट्टा	वर्ष 2016–17 के लिये समाधान राशि प्रति भट्टा
15 पाये तक	150000	180000
16 पाये तक	172000	206000
17 पाये तक	204000	245000
18 पाये तक	242000	290000
19 पाये तक	282000	338000
20 पाये तक	324000	389000
21 पाये तक	370000	444000
22 पाये तक	436000	523000
23 पाये तक	502000	602000
24 पाये तक	566000	679000

25 पाये तक	641000	769000
26 पाये तक	714000	857000
27 पाये तक	794000	953000
28 पाये तक	874000	1049000
29 पाये तक	956000	1147000
30 पाये तक	1044000	1253000
31 पाये तक	1130000	1356000
32 पाये तक	1222000	1466000
33 पाये तक	1304000	1565000
34 पाये तक	1394000	1673000
35 पाये तक	1486000	1783000
36 पाये तक	1571000	1885000
37 पाये तक	1658000	1990000
38 पाये तक	1748000	2098000
39 पाये तक	1835000	2202000
40 पाये तक	1920000	2304000

2— इस योजना से सम्बन्धित शासन के दिशा–निर्देश एवं प्रारूप–1 (समाधान हेतु प्रार्थना –पत्र) एवं प्रारूप–2 (शपथ–पत्र/अनुबन्ध पत्र) संलग्न है। इस योजना का अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुये उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

प्रारूप–1

भट्टा व्यवसाय में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र

सेवा में,

करनिर्धारक प्राधिकारी,

खण्ड.....

मण्डल / उपमण्डल...

महोदय,

मैं फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में .....कार्यालय.....द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या.....दिनांक.....से प्रभावी किया गया है तथा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए करनिर्धारक प्राधिकारी खण्ड.....मण्डल/ उपमण्डल.....के कार्यालय में दिनांक .....को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी/ साझीदार .....हूँ। मैंने ईट निर्माताओं द्वारा अपने भटटे में स्वनिर्मित ईंटों, ईट भट्टे में निर्मित टाइल्स, ऐसे ईट के रोड़ों, राबिश आदि की दिनांक 01–10–2016 से दिनांक 30–09–2017 तक की अवधि में की जाने वाली बिक्री पर तथा उक्त ईट आदि के निर्माण में प्रयोग हेतु क्रय किये जाने वाले लकड़ी, कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे पर देय कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है, अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भलीभॉति समझ लिया है। उक्त निर्देश की सभी शर्ते मुझे मान्य हैं। उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा ईंटों, ईट भट्ठे में निर्मित टाइल्स तथा ऐसी ईटों के रोड़ों और राबिश की सीजन वर्ष 2016–17 (दिनांक 01–10–2016 से दिनांक 30–09–2017 तक) में की जाने वाली बिक्री तथा इसी अवधि में ईटों के निर्माण में प्रयोग हेतु क्रय किये जाने वाले लकड़ी, कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त निर्धारित धनराशि संलग्न शपथ पत्र/ अनुबन्ध के अनुसार, जो रूपया.....है स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ। कुल राशि को मैं शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र में दी गयी शर्तो के अनुसार जमा करता रहूँगा। उक्त धनराशि का ..... प्रतिशत राशि रूपये .....तथा उस पर देय ब्याज मेरे द्वारा जमा कर दिया गया है, जिसका चालान संलग्न है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी कारण से मेरा यह निवेदन वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा।

दिनांक 01–10–2016 को मेरे यहॉ स्टाक निम्नवत् था :–

कम सं0 मद	विवरण	संख्या/ मात्रा	स्थान, जहॉ स्टाक रखा है।
1.	पक्की ईटें		
2.	इटों के रोड़े		
3.	भट्ठे में निर्मित टाइल्स		
4.	राबिश		
5.	कोयला		
6.	लकड़ी		
7.	बालू		

8. लकड़ी का बुरादा

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
प्रास्थिति.....

प्रामाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म.....के स्वामी / साझीदार.....हैं, तथा इस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
पूरा नाम.....
पूरा पता.....

प्रारूप–2 :–

समक्ष करनिर्धारक प्राधिकारी,
खण्ड.....
मण्डल / उपमण्डल.....

मैं .....पुत्र श्री.....आयु लगभग.....वर्ष, स्थायी निवासी.....(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि–

1. मैं, फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....(पूरा पता) पर स्थित है का स्थायी / साझीदार.....(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2. मेरे फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् हैं:–

पूरा पता वस्तुएं जिसका निर्माण या व्यापार होता है	निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण

1– मुख्यालय
2– शाखायें
(अ)
(ब)
(स)

3– उत्तराखण्ड ईट निर्माताओं द्वारा ईटों, ईट भट्टे में निर्मित टाईल्स, ईटों के रोड़ो तथा राबिश की सीजन वर्ष 2016–17 (दिनांक 01–10–2016 से दिनांक 30–09–2017) में हुई बिक्री और उसी अवधि में ईटों के उत्पादन में प्रयुक्त लकड़ी, कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तों तथा आयुक्त कर उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी–पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है, तथा सभी निर्देश, शर्ते आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।

4– मेरी उक्त फर्म के अपने निजी एवं लीज पर ईट के निम्नलिखित भट्टे सीजन वर्ष 2016–17 (दिनांक 01–10–2016 से दिनांक 30–09–2017 तक) में है तथा रहेंगे। यदि इसमें कोई परिवर्तन / वृद्धि होती है, हो या किसी भटटे के पायों में कमी या वृद्धि की जाती है तो उसकी सूचना ऐसे परिवर्तन / वृद्धि से तीस दिन के अन्दर अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को उपलब्ध कराऊँगा। मेरी फर्म के अन्तर्गत समस्त भट्टों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	भट्टों का नाम एवं उनके स्थान का पूरा पता	पायों की संख्या	एक समय में कितने स्थान पर फुकाई होती है।	पायों की सं0 के आधार पर प्रत्येक भट्टे के लिए प्रस्तावित एक मुश्त धनराशि	प्रस्तावित समाधान राशि
1	2	3	4	5	6

कुल योग.....

5– प्रस्तर–4 में अंकित भट्टों तथा इसी तालिका के स्तम्भ–6 में अंकित धनराशि का कुल योग .....होता है जो मेरी/हमारी फर्म द्वारा देय होगा। इस धनराशि की 20 प्रतिशत राशि का चालान इस शपथ पत्र अनुबन्ध व मेरे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। यदि मेरे द्वारा फर्म की ओर से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है तब अवशेष समाधान धनराशि, मेरी फर्म द्वारा, शासन द्वारा निर्गत समाधान योजना में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर जमा की जायेगी।

6– हमारा/ मेरा भट्टा नया अथवा.....से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (7) के खण्ड (ड.)(ii) के अन्तर्गत विघटन के कारण पुर्नगठित हुआ है और इसमें दिनांक.....से फुकाई प्रारम्भ हुई है/होगी। इस पर देय समाधान राशि रू0..... .....होती है, जिसका 1/3 मैंने .....बैकों की शाखा.....में जमा कर दिया है और चालान संलग्न है। शेष धनराशि मैं आयुक्त कर के निर्देशानुसार जमा करूगा।

7– यदि सीजन वर्ष 2016–17 (दिनांक 01–10–2016 से दिनांक 30–09–2017) के लिये मेरा धारा 7 की उपधारा (2) में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र/अनुबन्ध के अनुलग्नक–1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा आयुक्त कर द्वारा लगायी गयी शर्तो/ प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तो के अनुपालन न किए जाने की दशा में उत्तराखण्ड शासन तथा व्यापार कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियॉ मेरी फर्म के विरूद्ध कर सकेगा।

हस्ताक्षर.....
पूरा पता.....
प्रास्थिति.....

घोषणा

मैं कि.....उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र अनुबन्ध के प्रस्तर–1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तो और निर्देशों से मै तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेगें।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
प्रास्थिति.....

साक्षी के हस्ताक्षर.....
नाम एवं पता.....
तिथि एवं स्थान.....